भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 14.08.2026

रिमांड कार्यवाही अधिसूचना

मामला सं: एडी/एए/002/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "अर्ध-निर्मित नेत्र संबंधी लेंस" के आयात से संबंधित डंपिंगरोधी जांच में प्रत्येषण कार्यवाही।

1. माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टैट) ने जीकेबी ऑप्थैल्मिक्स लिमिटेड बनाम प्राधिकृत अधिकारी एवं अन्य के मामले में, जो चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "अर्ध-निर्मित नेत्र संबंधी लेंस" के आयात से संबंधित डंपिंगरोधी शुल्क से संबंधित है, अपने दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50782/2026 के माध्यम से दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम निष्कर्षों, को उस सीमा तक अपास्त कर दिया है जहाँ तक सहभागी निर्यातकों, अर्थात् (i) कोनेंट ऑप्टिक्स (जियांगसू) कं., लिमिटेड, (ii) शंघाई कोनेंट ऑप्टिक्स कं., लिमिटेड, (iii) झेजियांग वेइशिंग ऑप्टिकल कं., लिमिटेड, (iv) कार्ल जीस विजन (चाइना) लिमिटेड, तथा (v) डेजियन डेम्युंग ऑप्टिकल (हांगझोऊ) कं., लिमिटेड, पर शून्य डंपिंगरोधी शुल्क की सिफारिश/अधिरोपण किया गया था। माननीय न्यायाधिकरण ने इस मामले को गैर-अपकारी मूल्य (एनआईपी) के नए सिरे से निर्धारण हेतु नामित प्राधिकारी को प्रत्येषित कर दिया है, तथा जीकेबी ऑप्थैल्मिक्स लिमिटेड (घरेलू उद्योग/अपीलार्थी) को एनआईपी के निर्धारण की रीति पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने का निर्देश दिया है।

2. चूंकि गैर-अपकारी मूल्य के निर्धारण से संबंधित मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु यह मामला प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येषित कर दिया गया है, अतः प्राधिकारी ने माननीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त समझे गए प्रक्रम से प्रत्येषण कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत जानकारी की नए सिरे से जांच करेगा तथा डंपिंगरोधी नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षों को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। प्राधिकारी गैर-अपकारी मूल्य का विधि के अनुसार नए सिरे से निर्धारण करने हेतु अग्रसर होगा।

3. सभी हितबद्ध पक्षों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत करें। हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सभी संप्रेषण एवं अभ्यावेदन उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला सं: एडी/एए/002/2026 (AD/AA/002/2026) के अंतर्गत SETU पोर्टल पर अपलोड किए जाएँगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन का वर्णनात्मक भाग खोजने-योग्य (सर्चेबल) पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों। सभी संबंधित पक्षों से

अनुरोध है कि वे SETU प्लेटफ़ॉर्म पर अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने सभी सुझाव/प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें।

4. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इस आरंभन अधिसूचना, डंपिंगरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रपत्र एवं रीति में, इस अधिसूचना में विहित समयसीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्ष से अपेक्षित है कि वह उसका गैर-गोपनीय संस्करण अन्य पक्षों को उपलब्ध कराए।

6. हितबद्ध पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे विषयगत जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में सूचित बने रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से जाएँ।

7. किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा सूचना तक पहुँच से इनकार किए जाने अथवा अन्यथा किसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान न किए जाने, अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डाले जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और केंद्र सरकार से ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उपयुक्त समझी जाएँ।

(अमिताभ कुमार)
प्राधिकृत अधिकारी